

कृषकों की आजीविका में नाबाई द्वारा प्रायोजित कृषक उत्पादक संघ की भूमिका पर एक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में)

प्रभाकर सिंह¹

¹एम.ए., एम.फिल, अर्थशास्त्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।

मूलशब्द: कृषि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, श्रमशक्ति, रोजगार
सृजन, कृषक उत्पादक संगठन नाबाई।

प्रस्तावना

कृषि समस्त उद्योगों की जननी, मानवजीवन की पोषक एवं सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है। भारत जैसे विकास शील देश में कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय (2019-2020)में भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% योगदान जी.डी.पी. के रूप में है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देश की कुल जनसंख्या- 1, 374, 788, 863 (एक अरब सैंतिस करोड़ सैंतालिस लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ तिरसठ) की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में यह केवल जीविका का मात्र स्थान ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की अस्थि है। देश के उद्योग धंधे, विदेशी मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता, बाजार एवं राजनैतिक स्थिरता भी कृषि पर निर्भर है। बिना कृषि वृद्धि के देश का विकास संभव नहीं है। वर्तमान समय में कृषकों की आजीविका को बढ़ाने हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) प्रदेश में एक विशेष भूमिका निभा रहा है। इसका सबसे सफल उदाहरण अमूल डेयरी उत्पादन संगठन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जबकि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 22.88 करोड़ है। जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2.9 करोड़ की वृद्धि हुयी है। राज्य की कुल जनसंख्या का 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य की आय या आजीविका का मुख्य श्रोत कृषि ही है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि जोतों का आकार बहुत बड़ा नहीं है यहां पर अधिकतर जोते छोटी

व सीमांत हैं। कृषि के संगठित न होने के कारण कृषको को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषक उत्पादक संघ के माध्यम से सीमांत व छोटी किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य, बाजारों का विस्तार, सस्ती तकनीकी, आर्थिक रियायत (सब्सिडी) दिलाकर उनकी आय को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषक उत्पादक एक वैधानिक संगठन है जिसमें प्राथमिक उत्पादों का किसान, दुग्ध उत्पादक, मछली पालन, बुनकर, शिल्पकार, ग्रामीण कारीगर को भी सम्मिलित किया गया है। जिसमें लघु कृषक कृषि व्यापार संघ भी लगातार कृषक उत्पादक संगठन को प्रोत्साहित कर रहा है। इस संगठन में उत्पादक, संघ के अंश धारक (शेयर होल्डर) भी होते हैं जो प्राथमिक वस्तुओं से संबंधित व्यवसायिक क्रियाओं में लगे रहते हैं।

शोध परिकल्पना

यह अध्ययन तीन परिकल्पनाओं का परीक्षण करेगा:-

1. पहला सकारात्मक संबंध है: कृषकों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली भ्रमपूर्ण धारणा पर एफपीओ के सकारात्मक प्रभाव हैं कि कृषकों की आय पर एफपीओ का कोई प्रभाव नहीं है।
2. एफपीओ सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है और इसके विपरीत आर्थिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।
3. कृषक उत्पादक संघ के प्रदर्शन पर फार्म के आकार, आयु और शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है और इसके विपरीत एफपीओ पर फार्म के आकार आयु एवं शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है।

शोध प्राविधि

यह वर्तमान अध्ययन इस प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ चरणों का पालन करेगा-

1. नमूना विधि के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक समंक (डाटा) का संकलन होगा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिले के एफपीओ चुनने के लिए नमूना व्यवस्थित

यादृच्छिक नमूनाकरण होगा। प्राथमिक आंकड़े एक प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया जाएंगे जो विभिन्न चयनित एफपीओ के कृषकों के लिए तैयार किया गया है।

2. द्वितीयक डाटा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जैसे-पुस्तकालयों, अनुसंधान एजेंसियों, समाचार पत्रों, विभिन्न क्षेत्रों की पत्रिकाओं, विभिन्न विषयों के पुस्तकों, संचार माध्यम व इंटरनेट आदि से एकत्रित किया जाएगा।

परिकल्पना एक सांख्यिकी प्रतिगमन विश्लेषण करने के लिए और सांख्यिकी उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले कई रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण, E-Views और SPSS तकनीकी यंत्र प्राप्त होंगे।

शोध के उद्देश्य

कृषक उत्पादक संघ का सही मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा प्रायोजित एफ.पी.ओ. का अध्ययन किया जायेगा।

1. कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
2. कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से संगठन के कृषकों वित्त की सुविधा हेतु प्रयास करना।
3. एफ.पी.ओ. के माध्यम से कृषि उत्पाद में वृद्धि के नये आयामों तक पहुँचना।
4. कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषकों को कृषि की आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूक करने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. एफ.पी.ओ का मुख्य उद्देश्य छोटे जोत धारक किसानों को बदलते मूल्य श्रृंखलाओं की स्थितियों में समर्थन और सेवाओं के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत करके पैमाने के अर्थशास्त्र को प्राप्त करने में मदद करना।

शोध साहित्य

उत्तर प्रदेश (एक परिचय)- उत्तर प्रदेश भारत का अतिमहत्व पूर्ण एक राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका काफी उल्लेखनीय रही है। उत्तर प्रदेश की

अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। और इसकी कुल जनसंख्या का 65% भाग कृषि पर निर्भर है जिससे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास कृषि का महत्व बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार व झारखण्ड राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को धरातलीय दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है जैसे- दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र तथा गंगा का मैदानी भाग।

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन में मुख्यतः तीन फसलों को शामिल किया जाता है जिसमें रबी की फसल में मुख्यतः गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों आदि तथा खरीफ की फसल में मुख्यतः धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, मूंगफली आदि का उत्पादन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के जिलों को चार जोन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

पूर्वी क्षेत्र-बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, फैजाबाद, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संतकबीर नगर, गौरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र,

पश्चिमी क्षेत्र-सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, हापुड़ शामली, सम्भल

बुन्देलखण्ड क्षेत्र-औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट

मध्य क्षेत्र-रामपुर, बरेली पीलीभीत, बंदायु, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कासगंज

कृषक उत्पादक संघ (Farmer producer organization)

कृषक उत्पादक संघ कृषि संगठनों, कृषि क्षेत्र सुधार व बाजार में सुधार हेतु कई मुद्दों का सामना करने के लिए सबसे प्रभावी तंत्र में से एक के रूप में है। निर्माता संगठनों में से कृषि उत्पादों, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों का एकीकरण किया गया। कृषि विभागों, सहकारिता, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने किसान उत्पादक संघों का कम्पनी एक्ट 2013 (1) विशेष प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया है। जो किसानों को जोड़ने और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था के रूप में पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी का एक नया रूप पेश किया। अर्थात् कंपनी अधिनियम में धारा 581 के तहत एक निर्माता कंपनी (संशोधन) 2002 को 1999 में गठित वाई.के.अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर (अलघ समिति 2000) कृषक उत्पादक संघ को एक ऐसा उपकरण माना जाता है जो भारत के किसानों संगठित और औपचारिक कर सकता है। यहाँ किसान एक कंपनी बनाते हैं और साथ ही किसानों के साथ काम करने के लिए अपने संसाधनों को पूल करते हैं। किसान कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। संघ किसानों द्वारा पर्याप्त और उचित प्रबंध कौशल के साथ चलायी जाती है या वे किराए पर लेते हैं। भारत में एफ.पी.ओ. की शुरुआत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने की थी। जिसके अनुसार भारत में वर्तमान समय में कुल 910 एफ.पी.ओ. है। किन्तु सही तरीके से कार्य न होने के कारण भारत सरकार ने नाबार्ड की सहायता ली। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि की जा सके। वर्तमान समय में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एफ.पी.ओ. की संख्या 203 उत्तर प्रदेश में है। जब कि लघु कृषि व्यापार संघ के एफ.पी.ओ. की संख्या कुल 58 है। इसके अलावा यह जिम्मेदारी भूमि सुधार बैंक को भी दी गयी है।

निष्कर्ष

सम्भावित परिणाम निम्न बिन्दुओं से सम्बन्धित करने का प्रयास किया जाएगा जो इस प्रकार है-

1. शोधार्थी द्वारा किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा कि कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुयी है।

2. शोधार्थी द्वारा किये जाने वाले शोध कार्य में कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से किसानों को एकत्रित करके उनकी समस्याओं को नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराके उनका निस्तारण किया जाएगा। जिससे उनकी आय में सम्भाव वृद्धि की जा सके।
3. जिन जिलों में कृषक उत्पादक संघ नहीं है वहाँ पर एफपीओ से संबंधित संभावनाओं को देखना।
4. उत्तर प्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एफपीओ की वृद्धि एवं सम्भावनाओं को देखना।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Ministry of agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, first Advance Estimates of Production of Food grains for 2019-20 (As on-23/09/2019)
2. अलघ Y.K. (2007) "निर्माता कंपनियों के माध्यम से छोटे उत्पादकों को बाजार से जोड़ना" निर्माता कंपनी, नई दिल्ली पर कार्यशाला।
3. अनिका ट्रेबिन, मार्कस हस्लर (2012) "भारत में किसान उत्पादक कंपनियां सामूहिक कार्रवाई के लिए एक नई अवधारणा पर्यावरण और योजना।
4. बालाकृष्णन आर, एट (2018) किसानों के बीच निर्माता संगठन को बढ़ावा देना।
5. E.V.(2009) "किसान निर्माता ने बाजार के साथ धन की वर्षा को जोड़ा- एक नया प्रतिमान" भारतीय कृषि विपणन पत्रिका।
6. एफ.सी.डी.डी. विभाग, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यलय, लखनऊ।
7. प्रतियोगिता दर्पण-2019-2020।
8. कुरुक्षेत्र-मार्च 2019, आर.बी.आई. बुलेटिन, जुलाई-2015, अप्रैल-2016।
9. कृषि अर्थशास्त्र- आर. के. लेखी।
10. भारतीय अर्थव्यवस्था-मिश्रा एवं पुरी।